रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 3, 1986/फाल्गुन 12, 1907
No. 4] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 3, 1986/PHALGUNA 12, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल-भूतल परिवहन विभाग)

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1986

अधिसूचना

सा. नं टी. जी. डी./(32)/84:—केन्द्रीय सरकार, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेजर जनरल आर. एन. कपूर को दिल्ली परिवहन निगम का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक 1-3-86 से दो वर्ष के लिए नियुक्त करती है ।

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

(Transport Wing)

New Delhi, the 20th February, 1986

NOTIFICATION

F. No. TW|TGD(32)|84.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 and sub-section (1) of section 14 of the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government hereby appoints Maj. Gen. R. N. Kapoor, as Chairman-cum-Managing Director of the Delhi Transport Corporation for a period of two years with effect from 1st March, 1986.

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986